"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015—फाल्गुन 22, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित अग्रवाल (भाप्रसे-1993), सचिव, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनशक्ति नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर), तथा आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त दायित्व सौंपता है.

2. श्री गणेश शंकर मिश्रा (भाप्रसे-1994), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभाग, आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग पदस्थ करते हुए, प्रबंध संचालक, बेवरेजेस कार्पोरेशन तथा सचिव, जनसंपर्क तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के पद का अतिरिक्त दायित्व सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. डॉ. बी. एल. तिवारी, (भाप्रसे-1996), आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर एवं आयुक्त दुर्ग संभाग, दुर्ग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्रीमती एम. गीता, (भाप्रसे-1997), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री अशोक अग्रवाल (भाप्रसे-2000), कलेक्टर, राजनांदगांव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

6. श्रीमती अलरमेलमंगई डी. (भाप्रसे-2004), कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री अमित कटारिया, (भा.प्र.से. 2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री मुकेश कुमार बंसल, (भा.प्र.से.-2005), कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री रजत कुमार (भा.प्र.से.-2005), संचालक, जनसंपर्क, संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, विमानन एवं संचालक, विमानन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त केवल संचालक, जनसंपर्क के प्रभार से मुक्त करते हुए संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, विमानन (स्वतंत्र प्रभार), संचालक, विमानन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थ करता है.

10. श्री अंकित आनंद, (भाप्रसे-2006), कलेक्टर, बस्तर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अंकित आनंद के उपरोक्त पदभार ग्रहण करने पर श्री सुबोध कुमार सिंह (भाप्रसे-1997) अपने वर्तमान दायित्वों में से मात्र प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दायित्वों से मुक्त होंगे.

श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी के असंवर्गीय पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम के नियम 9 के अंतर्गत पदप्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

11. श्रीमती शम्मी आबिदी, (भाप्रसे-2007), मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

12. श्री यशवंत कुमार, (भाप्रसे-2007), अपर आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बीजापुर के पद पर पदस्थ करता है.

13. श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, (भाप्रसे-2007), कलेक्टर, बीजापुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के पद पर पदस्थ करता है.

श्री मोहम्मद कैसल अब्दुल हक, भा.प्र.से. द्वारा मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान के पद का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियन के असंवर्गीय पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतन नियम के नियम 9 के अंतर्गत पदप्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011) अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला बिलासपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अनुविभागीय अधिकारी (रा) जिला बिलासपुर के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर यथावत पदस्थ किया जाता है.

2. श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (स.जी. : 2011) अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को अनुविभागीय अधिकारी, कांकेर के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचांयत, कांकेर के पद पर यथावत पदस्थ करता है.

3. श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011) अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर को अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर के पद पर यथावत पदस्थ करता है.

4. श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011), अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायगढ़ तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ को अनुविभागीय अधिकारी, जिला रायगढ़ के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के पद पर यथावत पदस्थ करता है.

5. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011), अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर जिला कोरिया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर जिला कोरिया के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया के पद पर यथावत पदस्थ करता है.

6. श्री भोस्कर विलस संदीपन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011) अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को अनुविभागीय अधिकारी कोरबा के पद से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर यथावत पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21-02-2015 द्वारा श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से. (1994) को आयुक्त, आबकारी एवं पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन) विभाग पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, बेवरेजेस कार्पोरेशन तथा सचिव, जनसंपर्क तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. एम. गीता, भाप्रसे (1997), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006), प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्राामोद्योग बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड एवं संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्त शिल्प विकास बोर्ड, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमिताभ जैन (भाप्रसे-1989), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, संसदीय कार्य तथा जनसंपर्क विभाग को केवल प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग के पदभार से मुक्त करता है.

2. श्री गणेश शंकर मिश्रा (भाप्रसे-1994), आयुक्त आबकारी, पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन), सचिव, जनसंपर्क, प्रबंध संचालक, ब्रेवरेज कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 7-36/2009/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम 6 एवं 7 में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित अथवा स्वीकृत खनिज रियायत के क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र पर कॉलम 3 में उल्लिखित खनिजों के लिए संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से पूर्वेक्षण किये जाने हेतु आरक्षित करती है :—

तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	खनिज का नाम	क्षेत्र का नाम	को-आर्डिनेट			टोपोशिट नंबर	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
				प्वाइंट	अक्षांश	देशांश		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	रायपुर	चूनापत्थर	केसला	A	21°25'57"	81°55'45"	64G/15	4.75
				B	21°25'57"	81°56'56"		
				C	21°24'34"	81°56'56"		
				D	21°24'34"	81°55'45"		
2.	राजनांदगांव	चूनापत्थर	टेकापार-कलकसा	A	21°22'38"	80°56'45"	64C/15	9.30
				B	21°22'38"	80°58'28"		
				C	21°21'00"	80°58'28"		
				D	21°21'00"	80°56'45"		
3.	जांजगीर-चांपा	चूनापत्थर	ढाबाडीह-जोरिला	A	21°50'00"	82°21'30"	64K/5	16.4
				B	21°50'00"	82°23'50"		
				C	21°47'45"	82°23'50"		
				D	21°47'45"	82°21'30"		
4.	सरगुजा	कोयला	सैडू	A	22°46'15"	82°47'45"	64J/13 एवं 14	10.65
				B	22°46'15"	82°49'30"		
				C	22°44'15"	82°49'30"		
				D	22°44'15"	82°47'45"		
5.	बस्तर	डोलोमाईट	कुरून्दी, जीरागांव एवं मारकेल	A	19°05'00"	82°05'00"	65I/4	98.84
				B	19°05'00"	82°11'45"		
				C	19°02'00"	82°11'45"		
				D	19°02'00"	82°07'00"		
				E	19°01'00"	82°07'00"		
				F	19°01'00"	82°11'45"		
				G	19°00'00"	82°11'45"		
				H	19°00'00"	82°05'00"		

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74(2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर उपर्युक्त आरक्षित क्षेत्रों पर किसी अन्य व्यक्ति को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनिपट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1099/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	देवरी प.ह.नं. 28	0.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	पांगरी-देवरी मार्ग के शिवनाथ नदी पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 फरवरी 2015

क्रमांक 09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लाखासार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.05 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1899	0.05
योग		0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंघा व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-बारीडीह, प.ह.नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.71 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	138/2, 138/1	0.62
	137	0.88
	139	0.34
	148/2	0.21
	156/3	0.14
	156/4	0.30
	156/2	0.12
	143/3	0.40
	146	0.30
	147	0.40
	342/3	0.05
	342/13	0.05
	342/14	0.05
	342/15	0.05
	342/16	0.05
	342/17	0.05
	305/9	0.47
	342/1	0.42
	350/2	0.14
	342/11	0.30
	142/4	0.25
	305/12	0.57
	348/1	0.40
	353/2	0.29
	353/3	0.14
	354	0.34
	352/2	0.30
	351/2	0.14
	352/3	0.16
	353/1	0.38
	342/8	0.60
	342/6	0.40
	342/7	0.40
योग	34	9.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमामुडा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत कुंवाजति माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1100/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-थैलीटोला, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	224/2	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1101/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मगरधोखरा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19	0.101
	79/2	0.012
	81	0.166
योग	3	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बनियाटोला-मगरधोखरा मार्ग पर स्थित झूरा नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्रमांक/1102/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नादिया, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	455	0.077
योग	1	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंचमार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप-सचिव, छ.ग. शासन राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 20 फरवरी 2015

क्रमांक/447/राजस्व/2015.—आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2005 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति का गठन आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिए किया जाता है :—

1.	कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	पदेन सह अध्यक्ष
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सह सदस्य
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी	पदेन सह सदस्य
5.	कार्यपालन अभियन्ता, लो.नि.वि.	सदस्य
6.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
7.	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर	पदेन सह सदस्य सचिव

धनंजय देवांगन,
कलेक्टर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

रा.प्र.क्रमांक 01/अ-82/2014-15.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तिरिया, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम नगरनार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर तक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकार

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

क्र.	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जगदलपुर	धनपूंजी	528/1	0.07
		प.ह.नं. 28	528/2	0.06
			531	0.08
		योग	**03**	**0.21**

जगदलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

रा.प्र.क्रमांक 02/अ-82/2014-15.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम तिरिया, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर से जल परिवहन हेतु ग्राम नगरनार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर तक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लान्ट, नगरनार द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

क्र.	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जगदलपुर	चोकावाड़ा	626	0.04
		प.ह.नं. 29	630	0.05
			632	0.07
			636	0.08
			637/3	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			637/2	0.04
			637/1	0.02
			489/1	0.02
			493/1	0.04
			490	0.06
			493/2	0.04
			611	0.05
			610/2	0.005
			610/3	0.012
			610/4	0.005
			610/6	0.013
			610/7	0.010
		योग	**17**	**0.575**

एस. आर. कुर्रे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
सक्षम प्राधिकारी.